राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

राआबैंक(नदि)डीआरएस/ नीति सं' 43/ 2011-12
19 अक्तूबर, 2011

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियां

प्रिय महोदय,

आवास ऋणों के पूर्व-समापन पर पूर्व-भुगतान पेनल्टी

कृपया उपरोक्त विषय पर हमारे परिपत्र सं. एनएचबी(एनडी)/डीआरएस/ पीओएल सं० 36/2010 दिनांक 18 अक्तूबर, 2010 का संदर्भ लें। आवास वित्त कंपनियों द्वारा उधारकर्ताओं द्वारा आवास ऋणों के पूर्व-समापन पर लगाये जाने वाले पूर्व-भुगतान पेनल्टी अथवा पूर्व समापन प्रभारों के मामले पर राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा उत्तरवर्ती गतिविधियों के प्रकाश में आगे विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि इसके बाद आवास वित्त कंपनियां निम्नलिखित परिस्थितियों के अंतर्गत आवास ऋणों के पूर्व समापन पर पेनल्टी अथवा पूर्व भुगतान प्रभार प्रभारित नहीं करेंगी :

(क) जहां आवास ऋण अस्थिर ब्याज दर के पर आधार दिया गया है । (किसी भी स्रोत के माध्यम से पूर्व समाप्त)
(ख) जहां आवास ऋण स्थिर ब्याज दर पर दिया गया है और उधारकर्ता अपने स्रोतों से ऋण का पूर्व में समापन कर रहा है।

इस उद्देश्य हेतु अभिव्यक्ति "अपने स्रोत" का अभिप्राय किसी बैंक/एचएफसी/एनबीएफसी और/अथवा किसी वितीय संस्थान से उधार के अतिरिक्त कोई अन्य स्रोत है।

2. तदनुसार यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त मामलों में उधारकर्ताओं पर पूर्व समापन पेनल्टी अथवा पूर्व भुगतान प्रभार न लगाए जाएं। सभी आवास वित्त कंपनियों को सूचित किया जाता है कि तत्काल प्रभाव से उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त अनुदेशों का अनुपालन न करने पर राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 के तहत दांडिक कार्यवाही का प्रावधान है ।

4. कृपया पावती दें।

भवदीय,

राधेश्याम

(आर.एस. गर्ग)
महा प्रबंधक
विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग